

न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

- ❖ क्षमादान की शक्ति- अनुच्छेद-72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान (Pardons) की शक्ति प्रदान की गयी है। Power of Pardon:
Under Article 72, the President has been given the power of pardon.

↓
राष्ट्रपति

(Criminal (अपराधी)) ✓

↳ मृत्युदण्ड (Death by Sentence) को माफ कर सकते हैं।

↳ न्यायालय द्वारा जिन्हें सजा दी जा चुकी है उनको सजा को राष्ट्रपति द्वारा माफ किया जा सकता है।

❖ राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति के दण्ड को क्षमा कर सकता है अथवा प्रविलम्बन, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है The President can pardon or grant reprieve, remission, respite or commute the punishment of a person convicted of any offence

Pardon (क्षमा) ⇒ जब अपराधी को सजा से उसे पूरी तरह मुक्त कर दिया जाता है।

प्रविलम्बन (Reprieve) ⇒ मृत्युदण्ड को निलंबित (suspend) किया जाता है।

⇒ Remission (परिहार) ⇒ इसमें सजा में कमी

ex. ⇒ 20 वर्ष कठोर कारावास

⇒ लघुकरण (Commute)

↳ 10/5/15 कठोर कारावास

↳ इसमें सजा में कमी की जाती है।

⇒ Respite
(विराम)

⇒ सजा की प्रकृति में परिवर्तन।

ex. ⇒ 10 वर्ष का कठोर कारावास

- 5 वर्ष का साधारण कारावास

↓
विशेष परिस्थितियों में

अपराधी को सजा को माफ किया जाता है।

❖ परामर्श का अधिकार अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श (Consult) का अधिकार दिया गया है Right to Consultation- Article 143 gives the President the right to consult the Supreme Court

❖ किन्तु वह उच्चतम न्यायालय की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है But he is not bound to accept the opinion of the Supreme Court

Art. 143 ⇒ राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार

⇒ विधिगत मामलों पर परामर्श

⇒ राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का परामर्श मानने के लिए
बाध्य नहीं हैं।
↓
consult (Advice/सलाह)

वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)

बाद मूल्य
उत्तालामुखी

❖ भारत की 'आकस्मिक निधि' (Contingency fund) पर भी उसका नियन्त्रण होता है। He also has control over India's 'Contingency Fund'.

→ राष्ट्रपति

→ Art. 266

Consolidated fund of India (भारत की संचित निधि) ⇒ संसद (Parliament) का नियंत्रण

आकस्मिक निधि ⇒ Art. 267

→ लॉर्डन पैसा निकालने के बाद राष्ट्रपति को संसद को बताना पड़ता है क्योंकि इस फंड में पैसा संचित निधि से आता है।

अनु. 280 उसे एक वित्त आयोग (Finance Commission) नियुक्त करने का भी अधिकार है **Article 280** He also has the power to appoint a Finance Commission

अनु. 280 ⇒ वित्त आयोग (Finance Commission)

⇒ इस आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

⇒ इसमें एक अध्यक्ष (Chairman) + 4 other Members (4 अन्य सदस्य)

↓
इन सभी को नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

- ⇒ प्रथम वित्त आयोग का गठन ⇒ 1951
Named of first finance commission
- ⇒ कार्य प्रारंभ ⇒ 1952-1957
- ⇒ प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष ⇒ के० सी० नियोगी
Chairman of first finance commission
- ⇒ वर्तमान में अध्यक्ष ⇒ रण० के० सिंह
(2020-2025) ⇒ 15 वां वित्त आयोग
- ⇒ 16 वे वित्त आयोग के अध्यक्ष ⇒ अरविंद पनगडिया ।

⇒ धन विधेयक (Money Bill) राष्ट्रपति को पूर्वानुमति से लोक सभा में पेश किया जाता है।

Money bill introduced in LS but After Approval of President

⇒ संसद के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष (every financial year → 1 April - 31 March) का बजट वित्त मंत्री से पेश करने के लिए राष्ट्रपति कहते हैं।

Finance Minister

सैन्य शक्तियाँ (Military Powers)

- ❖ भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं (थल सेना, वायु सेना तथा नौ सेना) का प्रधान सेनापति होता है, The President of India is the Commander-in-Chief of the three armed forces (Army, Air Force and Navy).

थल सेना
वायु सेना
नौ सेना] => (Commander-in-Chief => राष्ट्रपति
प्रधान सेनापति

❖ उसे युद्ध घोषित करने तथा शान्ति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। He has the power to declare war and establish peace.

❖ वह तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है He also appoints the three army chiefs

राजनयिक शक्तियाँ (Diplomatic Powers)

❖ राजदूतों की नियुक्ति करता है

Appoints ambassadors

USA

राजदूत

❖ विदेशों से संधियाँ और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं, Treaties and agreements with foreign countries are also made in the name of the President.

॥२॥ येतन ॥
USA

आपातकालीन उपबंध
Emergency Provision

↓
Part (भाग) ⇒ 18

Art. (अनु०) ⇒ 352-360

इन्हें जर्मनी के संविधान से लिया गया है।

(Taken from Germany)

(1) राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency)

↳ Art. 352 ⇒

(2) राष्ट्रपति शासन (Presidential Rule) → Art. 356

(3) वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) ⇒ Art. 360

⇒ राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency)

→ घोषणा राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा मंत्रिमण्डल की लिखित अनुमति से
Announced by the President but after written Approval of Cabinet

→ आधार (Grounds)

(1) युद्ध (war)

(2) बाह्य आक्रमण (external Aggression)

⇒ 44th CA 1978

(3) सशस्त्र विद्रोह

Armed Rebellion

↳ 44th CA 1978

⇒ कितनी बार लगी है।

1962 → चीन का आक्रमण

1971 → पाक ॥ ॥

1975 → आंतरिक अशांति (Internal Disturbance) //